क्रम संख्या–365

रजिस्टर्ड नं0 ए0 डी0–4
लाइसेन्स सं0 डब्ल्यू0 पी0–4
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट पेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेष सरकार द्वारा प्रकाषित
असाधारण
विधायी परिषिष्ट
भाग–4 खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)
लखनउ बुधवार, 12 अगस्त, 1981
श्रावण 21, 1903 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेष सरकार
पशुधन अनुभाग–4
संख्या 3271/बारह–ग–4–81–3 (95)–77
लखनउ, 12 अगस्त, 1981

अधिसूचना
प्रकिर्ण

सा0 प0 नि0–42

संविधान के अनुचछेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेषें का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेष दुग्धषाला विकास विभाग लिपिक वर्ग सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तर प्रदेष दुग्धधषाला विकास विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1981

भाग एक – सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेष दुग्धधाला विकास विभाग लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1981 कही जाएगी।

(2)– यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–उत्तर प्रदेष दुग्धषाला विकास विभाग लिपिक वर्ग सेवा एक लिपिक वर्गीय सेवा हैं, जिसमें सेवा की प्रास्थिाति समूह ग के पद सम्मिलित है।

सेवा की प्रास्थिति

परिभाषायें

3– जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकुल बात न हो, इस नियमावली में –

(क) **नियुक्ति प्राधिकारी** का तात्पर्य दुग्ध आयुक्त, दुग्धषाला विकास, उत्तर प्रदेष से है,

(ख) **भारत का नागरिक** का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये,

(ग) **संविधान** का तात्पर्य ऐसे भारत के संविधान से हैं,

(घ) **सरकार** का तात्पर्य उत्तर प्रदेष सरकार से हैं,

(ड) **राज्यपाल** का तात्पर्य उत्तर प्रदेष के राज्यपाल से हैं,

(च) **सेवा का सदस्य** का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवत्त किन्ही नियमें या आदेषों के उपबन्धों के अधी न मौलिक रूप से नियुक्ति व्यक्ति से है,

(छ) **दुग्ध आयुक्त** का तात्पर्य दुग्ध आयुक्त दुग्धषाला विकास, उत्तर प्रदेष से हैं,

(ज) **सेवा** का तात्पर्य उत्तर प्रदेष दुग्धषाला विकास विभाग लिपिक वर्ग से हैं, और

(झ) **भर्ती का वर्ष** का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई, से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो–संवर्ग

सेवा की सदस्य संख्या

4–(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक प्रभाग के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय समय पर अवधारित की जाये।

(2) सेवा के सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक प्रबर्ग के पदों की संख्या जब तक कि उप नियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेष न किये जायें, उतनी होगी जितनी इस नियमावली की परिषिष्ट क में विनिर्दिष्ट की गयी हैः

परन्तु

(1) नियुक्त प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता हैं या राज्यपाल उसे प्रास्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(2) राज्यपाल समय समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं, जो आवष्यक समझे जायें।

भाग तीन – भर्ती

भर्ती के श्रोत

5–सेवा में विभिन्न प्रवर्ग के पदों पर भर्ती निम्नलिखित श्रोतों से की जायेगीः–

(1) **प्रधान सहायक–** प्रधान कार्यालय के स्थायी प्रधान लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा।

(2) **प्रधान लिपिक (प्रधाान कार्यालय)–** स्थायी उपलेखक प्रालेखक और अधीनस्थ कार्यालयों के स्थायी प्रधान लिपिको में से पदोन्नति द्वारा।

(3) **मुख्य कार्यालय में उपलेखक प्रालेखक और अधीनस्थ कार्यालयों के प्रधान लिपिक–**स्थायी ज्येष्ठ लिपिक में से पदोन्नति द्वाराः

परन्तु यदि उपयुक्त पात्र व्यक्ति पदोन्नति के लिये उपलब्ध न हों, तो स्थायी कनिष्ठ लिपिकों (जिसमें नैत्यक लिपिक भी सम्मिलित हैं) को सम्मिलित करने के लिये पात्रता के क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता हैं।

(4) **ज्येष्ट लिपिक–** स्थाई कनिष्ठ लिपिकों में से जिसमें नैत्यक लिपिक और टंकक भी सम्मिलित है, पदोन्नति द्वारा।

(5) **कनिष्ठ लिपिक** जिसमें नैत्यक लिपिक और टंकक भी सम्मिलित हैं।

अधीनस्थ, कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 के अनुसार सीधी भर्ती द्वाराः

परन्तु यथासंभव, संवर्ग में 10 प्रतिषत पद समय समय पर जारी किये गये सरकार के आदेषें के अनुसार कार्यालय के हाई स्कुल परीक्षा उत्तीर्ण चतुर्थ श्रेणी (समूह घ) के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

(6) **आषुलेखक–** इस नियमावली के नियम 15 के उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा।

अनुसूचित जातियों आदि के लिए आरक्षण

(6)– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियो के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेषो के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार – अर्हतायें

(7)–सेवा में सीधी भर्ती के लिए यह आवष्यक हैं कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बत शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय

से 1 जनवरी, 1963 से पूर्व भारत आया हो, या

राष्ट्रिकता

(ग) भारतीय उद्‌भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केनिया, उगान्डा और यूनाइटेड़ रिपब्लिक आफ तन्जानियां पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देष से प्रवजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभयर्थी को ऐसा ब्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया होः
परन्तु यह और की श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेष से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले,
परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किय जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में केवल इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवष्यक हो , किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता हैं और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता हैं कि आवष्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

8–(1) अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 के अनुसार सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी को उस नियमाली में निर्धारित आयु–सीमा के भीतर होना आवष्यक हैं।
(2) कनिष्ठ श्रेंणी आषुलेखक के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जाये, 21 वर्ष की हो जानी चाहिये और 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये :

आयु

परन्तु अनुसूचित आतियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य वर्ग के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किये जाये, अभ्यर्थियों की दषा में उच्चतर आयु सीमा उतनी वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

9–(1) अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 के अनुसार सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवष्यक है कि अभ्यर्थी उक्त नियमावली में निर्धारित अर्हतायें रखता हो। उसकी हिन्दी टंकण में कम से कम 25 षब्द प्रतिमिनट की गति भी होनी चाहिये।
(2) कनिष्ठ श्रेंणी आषुलेखक के पद पर सीधी भर्ती के लिये आवष्यक हैं कि

शैक्षिक अर्हता

अभ्यर्थी माध्यमिक षिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेष की इण्टरमिडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। उसकी हिन्दी आषुलिपिक में कम से कम 80 शब्द प्रति मिनट की और हिन्दी टंकण में कम से कम 30 शब्द प्रतिमिनट गति भी होनी चाहिये।

अधिमानी अर्हतायें

10– ऐसे अभ्यर्थी को–

(एक) जिसने प्रादेषिक सेना में दो वर्ष तक न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय युवा सैनिक निकाय (नेषनल कैडिट कोर) का बी प्रमाण –पत्र प्राप्त किया हो,

(दो) कनिष्ट श्रेणी आषुलेखन के मामले मे अंग्रेजी आषुलिपि और टंकण का ज्ञान रखता हो,

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

चरित्र

11– सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान करेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निकाय या निगम या उपक्रम द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नही होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्व व्यक्ति भी पात्र नही होंगे ।

12– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विषेष कारण विद्यमान है।

वैवाहिक प्रोस्थिति

13– किसी व्यक्ति को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शरीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे सेवा के सदस्य के रूप में अपने कर्तब्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने कि सम्भावना हो। सीधी भर्ती द्वारा चयन किये गये किसी अभ्यर्थी की सेवा में नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा कि जायेगी कि वह फण्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये गये फाइनेंनसियल हेंड़ बुक, खण्ड दो, भाग–तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता का

शारीरिक स्वस्थता

प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

भाग पॉच – भर्ती की प्रक्रिया

14– नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों कि संख्या और नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य वर्ग के अभ्यर्थियें के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों कि संख्या भी अवधारित करेगा। कनिष्ट श्रेणी आषुलेखक के पद की रिक्तियों सेवायोजन को अधिसूचित की जायेगी और कनिष्ट श्रेणी लिपिक की रिक्तियां जिसमें नैत्यक श्रेणी लिपिक और टंकक सम्मिलित हैं, अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 के अनुसार जिला चयन समिति को सूचित की जायेगी।

रिक्तियों का अवधारण

15– कनिष्ट लिपिक (जिसमें नैत्यक लिपिक आौर टंकक भी सम्मिलित हैं) के पदों पर भर्ती अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

16– (1) कनिष्ट श्रेणी आषुलेखक के पदों पर सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी जो दुग्धषाला विकास अधिकारी, दुग्धषाला विकास, उत्तर प्रदेष से निम्न पद का न हो,

कनिष्ट लिपिक के जिसमें नैत्यक श्रेणी लिपिक और टंकक सम्मिलित है, पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट को दुग्धषाला विकास अधिकारी, दुग्धषाला विकास, उत्तर प्रदेष।

(2) चयन समिति आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से एक प्रतियोगीता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी।

टिप्पणीः– प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया और पाठ्य–विवरण परिषिष्ट खख में दिया गया हैं।

कनिष्ट श्रेणी आषुलेखक के पद पर सीधी भर्ती की प्रकिया

(3) अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को सारणीबद्व किये जाने के पश्चात चयन समिति नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिष्चित करने की आवष्यकता को ध्यान रखते हुये, उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगी जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्धारित मानक तक पहुॅच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों में जोड़े जायेंगे।

(4) चयन समिति अभ्यर्थियों की योग्यता–क्रम में जैसा कि उनके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के कुल येाग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु 25 प्रतिषत से अधिक नहीं होगी। चयन समिति उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

17–(1) पदोन्नती द्वारा भर्ती नियम 16 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पात्र अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता–क्रम में एक सूची तैयार करेगा और उसे अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों और ऐसे अन्य अभिलेख के साथ जो सुसंगत समझे जायें, चयन समिति को अग्रसारित करेगा।

(3) चयन समिति, उपनियम (2) में लिखित अभिलेख के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगी और यदि वह आवष्यक समझे, तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती हैं।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग छः– नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18–(1) मौलिक रिक्तियां होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को उस क्रम से लेकर जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूचीयें में हो,सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों करेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी उपर्युक्त उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचीयों से नियुक्तियों कर सकता हैं। यदि इन सूचीयें का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियों कर सकता हैं परन्तु ऐसी नियुक्तियों छः मास से अधिक अवधि के लिये या अगला चयन किये जाने तक, इनमें जो भी पहले हो, की जायेगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती

19–(1) किसी मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्ति किये जाने पर सभी व्यक्तियों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि बड़ा सकता हैं, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक कि अवधि बड़ायी जाये :

नियुक्ति

परन्तु आपवादिक कारणों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष की सीमा से अधिक नहीं बड़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बड़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में यह प्रतीत हो की परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया हैं या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा हैं तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता हैं और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

परिवीक्षा

(4) ऐसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किये जायें या जिसकी सेवाये समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिये, गणना करने की अनुमति दे सकता हैं।

(20)– किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बड़ायी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी किया जा सकता हैं, यदि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो और नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त हैं।

(21)– किसी भी प्रवर्ग के पद पर नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक को नियुक्ति किये जाये तो उस क्रम से जिसमें उनके नाम उक्त आदेष में रखे गये हों, अवधारित की जायेगी :

परन्तु–

(एक) सेवा में सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों कि परस्पर ज्येष्ठता वहीं होगी जो चयन के समय अवधारित की गयी हो, और

(दो)श्सेवा में पदोन्नती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पदोन्नती के समय उनके द्वारा धृत मौलिक पद पर रही हो।

स्थायीकरण

टिप्पणीः– सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता को खो सकता यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारणों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिष्चय अन्तिम होगा।

ज्येष्ठता

भाग सात–लेखन

22–(1) सेवा में विभिन्न प्रवर्ग के पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत वेतनमान परिषिष्ट ग में दिये गये हैं।

23—(1) फंडामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनबृद्वि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उतीर्ण कर ली हो और प्रषिक्षण जहॉ विहित हो, पूरा कर लिया हो ओर द्वितीय वेतन बृद्वि दो वर्ष की सेवा के पष्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

वेतनमान

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाये, तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनबृद्वि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देष न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परिवीक्षा अवधि में वेतन

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाये तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतनबृद्वि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देष न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सामान्यतया सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

24— किसी व्यक्ति को—(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि यह न पाया जाये कि उसने धीरतया और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य उसका किया हैं, कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाये, और

(2) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक यह न पाया जाय कि उसने धीरतया और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य किया हैं, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाये और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाये और आषुलेखक से भिन्न अन्य व्यक्तियों के मामले में जब तक कि उसने कार्यालय के विनियमें और प्रक्रिया का पर्याप्त ज्ञान न प्राप्त कर लिया हो।

भाग—आठ

दक्षतारोक पार करने का मापदण्ड

25– इस नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिष से भिन्न किसी अन्य सिफारिष पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। अभ्यर्थी की ओर से अन्य साधनों द्वारा अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

26– ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विषेष आदेषें के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्ति व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेषों द्वारा नियंत्रित होंगे।

पक्ष समर्थन

27– जहॉ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विषिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहॉ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेष द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें वह उस मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवष्यक समझे, अभिमुक्त या षिथिल कर सकती हैं।

अन्य नियमों का विनियमन

28– इस नियमावली में किसी बात का ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेषों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध करना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
शमषाद अहमद,
सचिव।

सेवा की शर्तो में षिथिलता

परिषिष्ट–क

नियम 4 (2) देखिये

सेवा की स्थायी सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक प्रवर्ग के पदों की संख्या

व्यावृति

क स	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या		कुल पद
			स्थायी	अस्थायी	
1	प्रधान सहायक (450–25–575–द0रो0–25–700)	450–700	..	1	1
2	प्रधान कार्यालय के प्रधान लिपिक (300–8–324–9–360–द0रो0–10–440–द0रो0–12–500)	300–500	3	2	5
3	प्रधान कार्यालय के उपलेखक प्रालेखक (280–8–296–9–350–द0रो0–10–400–	280–460	12	16	28

	द0रो0–10–385)				
4	प्रधान लिपिक (सम्भागीय और अन्य अधीनस्थ कार्यालय)	....	.....	.....	...
5	ज्येष्ट लिपिक (230–6–290–द0रो0–10–385)	280–385	7	16	23
6	कनिष्ट लिपिक जिनमें नैत्यक श्रेणी लिपिक और टंकक भी सम्मिलित है।	200–320	33	11	44
7	सवेतन षिषु	....	.....		
8	आशुलेखक (300–8–324–9–360–द0रो0–0–8–300	300–350	4	 6	... 10

परिषिष्ट–ख

नियम 15 (3) देखिये
कनिष्ट श्रेणी आषुलेखक के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया

नियुक्ति प्राधिकारी उपेक्षित अर्हतायें पूरी करने वाले अभ्यर्थियों से विहित आवेदन पत्र में सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। अभ्यर्थियों को लिखित और मौखिक परीक्षा के लिये परीक्षा –फीस के रूप में 2 रू0 (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की दषा में 1 रू0) का भुगतान करना होगा। यह फीस कोषागार चालान द्वारा उचित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत राज्य के किसी कोषागार में जमा की जायेगी। परीक्षा फीस की वापसी का कोई दावा स्वीकार नहीं कीया जायेगा। अभ्यर्थीयों को हिन्दी आषुलिपि और टंकण की एक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होना पडेगा। उन्हें मौखिक परीक्षा भी देनी होगी। प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित अधिकतम अंक और उत्तीर्ण होने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंक नीचे दिये गये है :–

क्र सं	विषय	अधिकतम अंक	उत्तीर्ण होने के लिए अंक
1	हिन्दी आषुलिपि और टंकण	100	33 प्रतिषत
2	मौखिक परीक्षा	50	33 प्रतिषत

परिषिष्ट–ग

नियम 22 देखिये

क स	पद का नाम	वेतनमान
1	प्रधान सहायक	450–25–575–द0रो0–25–700 रू0
2	प्रधान कार्यालय के प्रधान लिपिक	300–8–324–9–360–द0रो0–10–440 –द0रो0–12–500 रू0
3	प्रधान कार्यालय के उपलेखक प्रालेखक	280–8–296–9–350–द0रो0–10–400 –द0रो0–12–460 रू0
4	प्रधान लिपिक (सम्भागीय और अन्य अधीनस्थ कार्यालय)	280–8–295–9–350–द0रो0–10–400 –द0रो0–12–460 रू0
5	ज्येष्ट लिपिक	230–6–290–द0रो0–9–335–दरो0–1 0–385 रू0
6	कनिष्ट लिपिक जिनमें नैत्यक श्रेणी लिपिक और टंकक	200–5–285–द0रो0–6–280–द0रो0– 8–320 रू0
7	सवेतन षिषु	200 रू0 प्रतिमाह नियत
8	आशुलेखक 300–500 रू0 के वेतनमान में	300–8–324–9–360–द0रो0–10–440 –द0रो0–12–500रू0

व्यावृति

क्रम सं0–301(क)

रजिस्टर्ड नं0 ए0बी0–4
लाइसेन्स संख्या डबल्यू0पी0–41
(लाईसेन्सड टु पोस्ट विदाउट प्रीपेमैण्ट)
सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4 खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)
लखनऊ,सोमवार, 10 मई, 1982
बैशाख–20, 1904 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
दुग्ध विकास अनुभाग

संख्या–1766 / बारह–दु0वि0अनु0–82–3(107)–77
लखनऊ 10 मई, 1982

अधिसूचना
प्रकीर्ण

सा0प0नि0–109

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास अधीनस्थ सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है।

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1982

भाग एक– सामान्य

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1982 कही जायेगी

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2– उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास अधीनस्थ सेवा एक अराजपत्रित हैं, जिसमें समूह ग के पद समाविष्ट हैं

3– जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में ....

क– ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य दुग्ध आयुक्त से है।

ख– ''आयोग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग से है।

ग– ''संविधान'' का तात्पर्य भारत के संविधान से है।

घ– ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

ङ– ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।

च– ''दुग्धशाला विकास निरीक्षक समूह एक'' का तात्पर्य ज्येष्ठ दुग्ध निरीक्षक, ज्येष्ठ औद्योगिक निरीक्षक(दुग्धशाला), ज्येष्ठ क्षेत्र सहायक और ज्येष्ठ प्राविधिक सहायक के पद धारण करने वाले अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत उपर्युक्त अधिकारी भी है।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

छ–''दुग्धशाला विकास निरीक्षक समूह–दो'' का तात्पर्य सहायक प्राविधिक अधिकारी दुग्धशाला रसायनज्ञ दुग्धशाला प्रभारी, विक्रय प्रभारी दुग्ध निरीक्षक और प्राविधिक अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत उपर्युक्त अधिकारी भी है।

सेवा की प्रास्थिति

ज–''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के अधीन या इस नियमावली के प्रारभ्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है।

परिभाषायें

झ– ''दुग्ध आयुक्त'' का तात्पर्य दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश से है।

ञ– ''सम्भागीय अधिकारी'' का तात्पर्य किसी राजस्व मण्डल में नियुक्त दुग्धशाला विकास अधिकारी से है।

ट–''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश दुग्ध विकास अधीनस्थ सेवा से है।

ठ–''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किए गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो, और

ड– ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग–दो संवर्ग

4–(1) सेवा की सदस्य–संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी,जितनी राज्यपाल द्वारा समय समय पर अवधारित की जायें

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी ही होगी, जितनी इस नियमावली के परिशिष्ट''क'' में दी गयी है ।

परन्तुः–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते है,जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(दो) राज्यपाल समय समय पर ऐसी अतिरिक्त अस्थाई या स्थायी पदों का सृजन कर सकते है, जिन्हें वह आवश्यक समझे,

भाग–तीन–भर्ती

5– सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित श्रोतों से की जायेगी

(1) निरीक्षक समूह एक(एक) आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा,

(2) समूह दो के ऐसे स्थायी निरीक्षकों और स्थायी राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षको में से, जिन्होंने इस रूप में कम से कम 10 वर्ष की सेवा की हो (जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी है) आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

सेवा का संवर्ग

परन्तु भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि यथाशक्य संवर्ग में 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत पद पदोन्नत व्यक्तियों द्वारा घृत किये जायें ।

टिप्पणीः– समूह दो के निरीक्षकों के नाम ज्येष्ठता–क्रम में, जैसा मौलिक नियुक्ति के दिनांक से अवधारित हो, रखकर और उसके पश्चात सरकारी दुग्ध पर्यवेक्षकों के नाम उस प्रकार अवधारित ज्येष्ठता क्रम में रखकर, पदोन्नति के प्रयोजनार्थ एक संयुक्त ज्येष्ठता सूची तैयार की जायेगी ।

(2) निरीक्षक समूह दोः– ऐसे स्थायी सरकारी दुग्ध पर्यवेक्षकों में से, जिन्होंने इस रूप में कम से कम 8 वर्ष की सेवा की हो(जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी है,(पदोन्नति द्वारा)

(3) सरकारी दुग्ध पर्यवेक्षक सीधी भर्ती द्वारा ।

6– अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण,भर्ती के समक्ष प्रवृत्त सरकारी आदेशों के तहत किया जायेगा

भर्ती का श्रोत

भाग–4 अर्हतायें

7– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उदभव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसनें भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रिकी देश कैनिया,उगाण्डा या यूनाइण्टेड रिपब्लिक आफ तंजानिया(पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया होः

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी(ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रेमाण पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी(ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक,गुंप्तचर शाखा,उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें:।

आरक्षण

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें ।

राष्ट्रिक्ता

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी किया जाय ।

(8) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हताएं रखता हो:–

(1)निरीक्षण समूह–एक

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रथम श्रेणी में भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ प्रथम श्रेणी में कृषि स्नातक।

या

भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशे शज्ञता के साथ कृषि स्नातक और दुग्ध सहकारी समितियों के उत्पादन और विक्रय क्रियाओं के संयोजित करने का या किसी मानक विदेशी/भारतीय दुग्ध उत्पादक/कारखाने में कार्य करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ।

(2)सरकारी दुग्ध पर्यवेक्षक

अनिवार्य:– कृषि में कम से कम इण्टरमीडिएट परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा अवश्य रखता हो ।,
अधिमानी:– दुग्ध सहकारी समितियों के कार्य का अनुभव ।

9– अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

शैक्षिक अर्हता

(दों) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

10– सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायें और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जाये, 21 वर्ष की होनी चाहिए और 28 वर्ष से अधिक न हुई होनी चाहिए:

परन्तु अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो

सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिदिष्ट की जायें ।

11– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा ।

टिप्पणीः– संघ सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगें । नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगें ।

अधिमानी अर्हतायें

(12) सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होंगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रहीं हो।

आयु

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उनका या समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

(13) किसी अभ्यर्थी को ऐसा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारिरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पडने की संभावना न हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किए जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फण्डामैन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनैन्सियल हैण्डबुक खण्ड–दो भाग–तीन के अध्याय तीन में दिए गये नियमों के अनुसार स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

चरित्र

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गये अभ्यर्थी से स्वस्थता के प्रमाणपत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

भाग–पांच –भर्ती की प्रकिया

14– नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा । निरीक्षक समूह एक के पदों की रिक्तियों की सूचना आयोग को दी जायेगी और सरकारी दुग्ध पर्यवेक्षकों के पद की रिक्तियों की सूचना सेवायोजन कार्यालय को दी जायेगी ।

वैवाहिक प्रास्थिति

15– (1) चयन के लिए विचारार्थ आवेदन पत्र आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में आमंत्रित किए जायेंगें जिसे आयोग के सचिव से प्राप्त किया जा सकता है।

(2) आयोग के नियम 6 के अधीन अनूसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यन में रखते हुए, अपेक्षित अर्हता रखने वाले उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा जितने वह उचित समझे।

(3) आयोग अभ्यर्थियों की, उनकी प्रवीणता–क्रम में जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक

शारिरिक स्वस्थता

अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उनके नाम सेवा में उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यताक्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं) होगी। आयोग उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

16– निरीक्षक समूह एक के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया)नियमावली 1970 के अनुसार की जायेगी।

टिप्पणी :–उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्परामर्श चयनान्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 की एक प्रतिलिपि परिशिष्ट – ख– में दी गई है।

रिक्तियों का अवधारण

17––(1) निरीक्षक समूह दो के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए,ज्येष्ठता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होगें:–

(एक)नियुक्ति प्राधिकारी या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट दुग्धशाला विकास अधिकारी के पद से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी।

(दो) दुग्धशाला विकास अधिकारी } नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम

(तीन) दुग्धशाला विकास अधिकारी } निदिष्ट किये जायेंगें ।

निरीक्षक समूह एक के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जाये, चयन समिति के समक्ष रखेगा ।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निदिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यथियों के मामलों पर विचार करेगी और, यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है ।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।

18–(1) भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होगें :–

(एक) दुग्ध आयुक्त

निरीक्षक समूह एक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

(दो) दुग्ध आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट दुग्धशाला विकास अधिकारी

(तीन) दुग्धशाला अभियन्ता ।

(2) चयन समिति आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से साक्षात्कार में उपस्थित होने की अपेक्षा करेगी ।

निरीक्षक समूह दो के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

(3)चयन समिति अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में उनको प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी । यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति उनके नाम उस पद के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगी । सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं) होगी ।

19– यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूची से इस प्रकार लिये जायेगें कि विहित प्रतिशत बने रहे ।सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा ।

(एक) यदि नियुक्ति सीधी भर्ती (सी0भ0) और पदोन्नति(प0) दोनों प्रकार से 50:50 के अनुपात में की जानी हो और किसी विशिष्ट वर्ष में 20 रिक्तियां हो तो ऐसी स्थिति में 10 रिक्तियां सीधी भर्ती वाले को और 10 रिक्तियां पदोन्नति किये गये व्यक्तियों को दी जायेगी । चयन किये जाने के पश्चात संयुक्त चयन सूची निम्नलिखित चक्रानुक्रम में तैयार की जायेगी :–

सरकारी दुग्ध पर्यवेक्षक के पद पर सीधी भती की प्रक्रिया

1. प0	11. प0
2. सी0भ0	12. सी0भ0
3 प0	13. प0
4 सी0भ0	14. सी0भ0
5.. प0	15. प0
6. सी0भ0	16 सी0भ0
7.. प0	17 प0
8. सी0भ0	18 सी0भ0
9.. प0	19 प0
10.. सी0भ0	20 सी0भ0

(दो) यदि उपर्युक्त मामलें में, किसी वर्ष (एक्स) में विहित कोटे के अनुसार भर्ती के बजाय,12 व्यक्ति पदोन्नति द्वारा और 8 व्यक्ति सीधी भर्ती किये जायें और सीधी भर्ती के कोटें में कमी को अगले वर्ष(वाई) में 20 रिक्तियों में से 12 सीधी भर्ती और 8 पदोन्नति द्वारा भर्ती करके पूरा किया जाय तो (एक्स) और (वाई) वर्ष की संयुक्त चयन सूची निम्नलिखित चक्रानुक्रम में तैयार की जायेगीः–

संयुक्त चयन सूची

(एक्स) वर्ष	(वाई) वर्ष	
1. प0	1. सी0भ0}	
2. सी0भ0	2. सी0भ0}	एक्स वर्ष का भरा न गया कोटा ।
3. प0	3. प0	एक्स वर्ष का आधिक्य
4. सी0भ0	4. सी0भ0	
5. प0	5. प0	एक्स वर्ष का आधिक्य
6. सी0भ0	6. सी0भ0	
7. प0	7. प0	
8. सी0भ0	8. सी0भ0	
9. प0	9. प0	
10. सी0भ0	10 सी0भ0	
11. प0	11. प0	
12. सी0भ0	12. सी0भ0	
13. प0	13. प0	
14. सी0भ0	14. सी0भ0	
15. प0	15. प0	
16. सी0भ0	16. सी0भ0	
17. प0		

18. सी0भ0 19. प0 20 सी0भ0	17. प0 18. सी0भ0 19. प0 20 सी0भ0 21 प0 22 सी0भ0

भागछः— नियुक्ति,परिवीक्षा,स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

20—(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए,नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम,यथास्थिति, नियम —15, 16, 17, 18 या 19 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो ।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हो, वहां नियमित नियुतियां तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों श्रोतो से चयन न कर लिया जाये और नियम 19 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय ।

(3) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एकाधिक आदेश जारी किये जाये ंतो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख,यथास्थिति, चयन में यथा अवधारित या उस संवर्ग मे ंजिससे उन्हें पदोन्नति किया जाये, विधमान ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा । यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाये ंतो नाम नियम 19 में निदिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखे जायेगें ।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में उपनियम(1) में निर्दिष्ट सूचियों में नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किए जाने तक इनमें जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेगी और जहां पद आयोग के कार्य क्षेत्र के भीतर हों, वहां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) निनियम, 1854 के विनियम 5(क) के उपबन्ध लागू होंगें ।

21——(1) सेवा में किसी पद पर किसी मौलिक रिक्ति में, या उसके प्रति नियुक्ति किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों में जो अभिलिखित किए जायेगें, अलग अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक कि अवधि बढायी जाय,परन्तु, आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा—अवधि एक वर्ष से अधिक और, किसी भी परिस्थिति में, दो वर्ष से अधिक नहीं बढाई जायेगी ।

(3) यदि परिवीक्षा—अवधि या बढाई गई परिवीक्षा—अवधि के दौरान किसी भी समय

या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का प्र्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सका है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

22—किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में, उसकी नियुक्ति में, स्थायी कर दिया जायेगा यदि —

क— उसने विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो।

ख— उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो। ग— उसका कार्य और आचरण संताषजनक बताया जाय।

घ— उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

ङ— नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किए जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

परिवीक्षा

23—(1) एतद्पश्चात यह उपबन्धित के सिवाय, किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्ति किये जाये ंतो उस क्रम में, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखें हो, अवधारित किये जायेगी ।

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिदिष्ट किया जाये ंतो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा और अन्य मामलें में, उसका तात्पर्य आदेश जारी करने के दिनांक से होगा ।

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एकाधिक आदेश जारी किये जाये ंतो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 20 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो ।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधी नियुक्ति किये गये व्यक्तियों की ज्येष्ठता वहीं होगी जो यथास्थिति आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो।

परन्तु सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता भी खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों से बिना कार्यभार गृहण करने में विफल रहे । कारण की युक्तियुक्तता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो । जिससे उनकी पदोन्नति की गयी हो ।

स्थायीकरण

(4) जहां नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से या एक से अधिक श्रोत से की जायें वहा उनकी परस्पर ज्येष्ठता नियम 19 के अनुसार तैयार की गयी संयुक्त सूची में चक्रानुक्रम उनके नाम रखकर ऐसी रीति से अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे :–

परन्तु –––

(एक) जहां किसी एक श्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से अधिक की जायें वहा कोटा से अधिक व्यक्तियों को ज्येष्ठता के लिए नीचे अनुवर्ती वर्ष या वर्षो में जिसमें कोटा के अनुसार रिक्तियां हो, रखा जायेगा ।

ज्येष्ठता

(दो) जहां किसी श्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से कम हो और ऐसी बिना भरी गई रिक्तियों के प्रति नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षो में की जायें वहां इस प्रकार नियुक्ति व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं मिलेगी किन्तु उन्हें उस वर्ष की जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की जायें ज्येष्ठता इस प्रकार मिलेगी कि इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनके नाम सबसे उपर रखे जायेगें जिसके बाद अन्य नियुक्ति व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में रखें जायेगें ।

भाग सात– वेतन इत्यादि

24 (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाये ।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर अनुमन्य वेतनमान इस नियमावली के परिशिष्ट''क''में दिये गये है ।

25–(1) फण्डामैण्टल रूल में किसी प्रतिकूल उपबन्ध होते हुए भी किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्वि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहां विहित हो,विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्वि दो वर्ष के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर लिया गया हो ।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्वि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ।

(2) ऐसे व्यक्ति को जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामैण्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा ।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्वि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सामान्यतया सेवारत सरकारी सेवको पर लागू सुसंगत नियमों के द्वारा विनियमित होगा ।

26– किसी भी व्यक्ति को –
(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय, और
(दो) द्वितीय दक्षतारोक पर करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने तत्परता और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया जो, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

वेतन

भाग आठ– अन्य उपबन्ध

27– किसी पद या सेवा के संबंध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा ।

परिवीक्षा अवधि में वेतनमान

28– ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिदिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अंतर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगें

29– जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों की विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, और आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभियुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

30–इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायातो पर नहीं पडेगा, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार, अनूसूचित जातियों, जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के लिए उपलब्ध करना अपेक्षित हो।

दक्षता रोक पार करने का मानदण्ड

आज्ञा से,
शमशाद अहमद,
आयुक्त एवं सचिव,
कृषि उत्पादन।

परिशिष्ट ––क
(नियम 4 और 24)

श्रेणी	पद का नाम	वेतनमान	स्थायी	अस्थायी
1.	समूह एक	350–15–500–द0रो0	44	–

पक्ष समर्थन

अन्य विषयों का विनियमन

सेवा की शर्तो में शिथिलता

	(एक)ज्येष्ठ दुग्ध निरीक्षक	–20–600–द0रो0 –25–700		
	(दो)ज्येष्ठ औधोगिक निरीक्षक	.....तदैव.....	1	––
	(तीन)ज्येष्ठ क्षेत्र सहायक	.....तदैव.....	1	––
	(चार)ज्येष्ठ प्राविधिक सहायक	.....तदैव.....	1	––
2.	समूह दो (एक)सहायक प्राविधिक अधिकारी	280–8–296–9–350–द0रो0–10–400–द0रो 0–12–460	10	1
	दुग्धशाला रसायनज्ञ	.....तदैव.....	1	––
	विक्रय प्रभारी	.....तदैव.....	1	––
3.	सरकारी दुग्ध पर्य0	200–5–250–द0रो0–6 –280–द0रो0–8–320	184	112

व्यावृत्ति

क्रम सं0–255

रजिस्टर्ड नं0 ए0जी0–4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4 खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)
लखनऊ,वृहस्पतिवार, 21 मई, 1981
बैशाख–31, 1903 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
पशुधन अनुभाग
संख्या–859 / बारह–प–4–81
लखनऊ 22 अप्रैल, 1982

अधिसूचना
प्रकीर्ण

सा0प0नि0–109

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है।

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1981

भाग एक– सामान्य

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास सेवा नियमावली, 1981 कही जायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2–उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास सेवा में समूह ''क'' और ''ख'' के पद सम्मिलित है

3– जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में .....

क– ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य राज्यपाल से है।

ख– ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो भारत का नागरिक हो या समझा जायें ।

ग ''आयोग'' का तात्पर्य'' उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है ।

घ– ''संविधान'' का तात्पर्य भारत के संविधान से है।

ड– ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।

च– ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

छ–''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली

के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है।

ज– ''दुग्ध आयुक्त'' का तात्पर्य दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश से है।

झ–''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास सेवा से है,और

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

य– ''दुग्धशाला विकास निरीक्षक समूह एक'' का तात्पर्य ज्येष्ठ दुग्ध निरीक्षक, ज्येष्ठ औद्योगिक निरीक्षक(दुग्धशाला), ज्येष्ठ क्षेत्र सहायक और ज्येष्ठ प्राविधिक सहायक के पद धारण करने वाले अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत उपर्युक्त अधिकारी भी है।

परिभाषायें

छ–''दुग्धशाला विकास निरीक्षक समूह–दो'' का तात्पर्य सहायक प्राविधिक अधिकारी दुग्धशाला रसायनज्ञ दुग्धशाला प्रभारी, विक्रय प्रभारी दुग्ध निरीक्षक और प्राविधिक अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत उपर्युक्त अधिकारी भी है।

ज–''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के अधीन या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है।

झ– ''दुग्ध आयुक्त'' का तात्पर्य दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश से है।

य ''भर्ती का वर्ष '' का तात्पर्य किसी कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग–दो संवर्ग

4–(1) सेवा की सदस्य–संख्या और उसमें प्रत्येक प्रवर्ग के पदों की संख्या उतनी होगी,जितनी राज्यपाल द्वारा समय समय पर अवधारित की जायें ।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक प्रवर्ग के पदों की संख्या, जबतक कि उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें । उतनी ही होगी, जितनी नीचे दी गयी है ।

सेवा का संवर्ग

पद का नाम	संख्या	
	स्थायी	अस्थायी
समूह ''क''		
1. मुंख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी	1	––
प्रास्थगित	1	7
2. दुग्धशाला विकास अधिकारी	1	––
3. दुग्धशाला(प्राविधिक) अभियन्ता समूह''ख''	6	3
1. उपदुग्धशाला विकास अधिकारी	1	––
2. दुग्धशाला सर्वेश्रक	6	11
3. दुग्धशाला प्रबन्धक	2	–
4. सहायक निदेशक	1	–
5. सहायक निदेशक(प्रशासन)	1	–
6. सांख्यिक		

परन्तु राज्यपाल :–

(एक किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते है या उसे प्रास्थगित रख सकते है,जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या
(दो) समय समय पर ऐसी अतिरिक्त अस्थाई या स्थायी पदों का सृजन कर सकते है, जो आवश्यक समझे,

भाग–तीन–भर्ती

5– सेवा में विभिन्न प्रवर्गों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित श्रोतों से की जायेगी ।

1. मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारीः– ऐसे दुग्धशाला विकास अधिकारियों से जो इस पद पर स्थायी हो या इस पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हो और उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्घशाला सर्वेश्रक,दुग्धशाला प्रबन्धक या सहायक निदेशक के पद पर स्थायी हो,योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ।

2. दुग्धशाला विकास अधिकारीः– ऐसे स्थायी उपदुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला प्रबन्धक, सहायक निदेशक और दुग्घशाला सर्वेश्रक में से,जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिनांक को पांच वर्ष की न्यूनतम सेवा(जिसमें अस्थायी सेवा शामिल हो) पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को स्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के द्वारा ।

3.उपदुग्धशाला विकास अधिकारीः– (एक) अधीनस्थ दुग्धशाला विकाससेवा समूह

भर्ती का श्रोत		
	4. सहायक निदेशक जिन्होंने भर्ती	'एक'' के ऐसे स्थायी सदस्यों में से
	5.दुग्धशाला सर्वेक्षक की न्यूनतम	के वर्ष के प्रथम दिनांक को 5 वर्ष
	सम्मिलित है) पूरी	सेवा (जिसमें अस्थायी सेवा
	योग्यता के	कर ली हो, आयोग के माध्यम से
	6. दुग्धशाला प्रबन्धक द्वारा –	माध्यम से पदोन्नति द्वारा । (दो) आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती
	सहायक	परन्तु उपदुग्धशाला विकास अधिकारी,

	निदेशक, दुग्घशाला सर्वेश्रक और
दुग्धशाला	
	प्रबन्धक के पदों पर भर्ती इस प्रकार
से की	
	जायेगी कि संवर्ग में 50 प्रतिशत पद
पदोन्नत	
	व्यक्तियों द्वारा और 50 प्रतिशत पद
सीधे भर्ती	
	किये गये व्यक्तियों द्वारा घृत किये
जायें ।	
7. दुग्धशाला प्राविधिक अभि0	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा
।	
8. सांख्यिक	ऐसे स्थायी सांख्यिकी सहायकों में से
जिन्होंने इस	
	पद पर भर्ती के वर्ष के प्रथम दिनांक
को 5 वर्ष	
	की न्यूनतम सेवा (जिसमें अस्थायी
सेवा	
	सम्मिलित है) पूरी कर ली हो, आयोग
के माध्यम	
	से योग्यता के आधार पर पदोन्नति
द्वारा ।	

6– अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के तहत किया जायेगा

भाग–4 अर्हतायें

7– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उदभव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसनें भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान,वर्मा,श्रीलंका या किसी किसी पूर्वी अफ्रिकी देश कैनिया,उगाण्डा या यूनाइण्टेड रिपब्लिक आफ तंजानिया(पूर्ववर्ती

तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया होः

परन्तु उपर्युक्त प्रवर्ग (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि प्रवर्ग (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक,गुंप्तचर शाखा,उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंः

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें ।

आरक्षण

राष्ट्रिक्ता

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी किया जाय ।

(8) सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की अर्हतायें ऐसी होनी चाहिए कि जैसी परिशिष्ट ''क'' में दी गयी है ।

(9) ऐसे अभ्यर्थी को–

(एक) जिसने प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) जिसने राष्ट्रीय यूव सैनिक निकाय(राष्ट्रीय कैडेट कोर) का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा ।

10–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायें और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जाये, 21 वर्ष की होनी चाहिए और दुग्धशाला प्राविधिक अभियन्ता के पद के संबंध में 35 वर्ष और अन्य पदों के संबंध में 30 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिएः

परन्तु अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य प्रवर्गों के, जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों

की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जायें ।

11– सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान करेगा।

शैक्षिक अर्हता

अधिमानी अर्हतायें

टिप्पणीः– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगें । नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगें

(12) सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होंगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित रहीं हो। परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

(13) किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारिरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह ऐसे सभी दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पडने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किए जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करें ।

चरित्र

परन्तु पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गये अभ्यर्थी से स्वस्थता के प्रमाणपत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

भाग–पांच –भर्ती की प्रक्रिया

14– नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारितकरेगा और आयोग को ऐसी रिक्तियों की सूचना देगा जो उसके माध्यम से भरी जायें।

15–(1) आयोग द्वारा चयन के लिए विचारार्थ आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में जो भुगतान किये जाने पर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकते है, आमंत्रित किये जायेगें ।

वैवाहिक प्रास्थिति

(2) आयोग द्वारा नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रवर्गो के अभ्यर्थियों का समयक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा, जितनी वह उचित समझे और जो अपेक्षित अर्हतायें पूरी करते हो ।

शारिरिक अस्वस्थता

(3)आयोग अभ्यर्थियों की, उनकी प्रवीणता के क्रम में जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो आयोग सेवा के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता के क्रम में उनके नाम रखेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी। आयोग यह सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

16—(1)मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी,दुग्घशाला विकास अधिकारीऔर सांख्यिक के पद पर भर्ती निम्न प्रकार से गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी ।

रिक्तियों का अवधारण

(क) मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी पद के लिये

(एक) सचिव,कार्मिक विभाग,उत्तर प्रदेश सरकार

(दो) सचिव,पशुपालन विभाग, उ0प्र0 सरकार, और

(तीन) दुग्ध आयुक्त।

(ख) दुग्धशाला विकास अधिकारी पद के लिए

(एक) सचिव,पशुधन विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

उपदुग्धशाला विकास अधिकारी/सहायक निदेशक/दुग्धशाला सर्वेक्षक/दुग्धशाला प्रबन्धक/दुग्धशाला प्राविधिक अभियन्ता के पद पर सीधी भर्ती की प्रकिया ।

(दो) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार जो मुख्य सचिव द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा ।

(ग) सांख्यिक के पद के लिए

(एक) विशेष सचिव, पशुधन विकास विभाग, जो सचिव और आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा ।

(दो) उपसचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ।

(तीन) दुग्ध आयुक्त ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता के क्रम में अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा, और उसे अभ्यर्थियों की चरित्र पंजिकाओं और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अश्भिलेख के साथ जो उचित समझे जायें,चयन समिति के समक्ष रखेगा ।

(3) चयन समिति उपनियम(2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलें पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है ।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।

मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी और दुग्घशाला विकास अधिकारी सांख्यिक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती

टिप्पणीः– चयन करते समय राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग के शासनादेश संख्या 15/25/75/रा0एकी0 दिनांक 10 मई 1976 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी (प्रतिलिपि परिशिष्ट ''ख'' के रूप में संलग्न है)

17–उपदुग्धशाला विकास अधिकारी,दुग्धशाला प्रबन्धक,सहायक निदेशक और दुग्धशाला सर्वेक्षक और सांख्यिक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय समय पर यथासंसोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समपरामर्श चयनोन्नति(प्रक्रिया)नियमावली 1970 के अनुसार की जायेगी ।

18– यदि नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों ही प्रकार से की जाती हो तो नियम 15 और 17 के अनुसार तैयार की गयी सूचियों से नाम अनुकल्पतः लेकर एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें पहला नाम नियम 17 के अनुसार तैयार की गयी सूची से होगा

भागछः– नियुक्ति,परिवीक्षा,स्थायीकरण और ज्येष्ठता

19–(1)मौलिक रिक्तियां होने पर नियुक्ति प्राविधाकारी अभ्यर्थियों को उस क्रम से लेकर जिसमें उनके नाम यथास्थिति, नियम –15, 16, 17, या 18 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो । नियुक्तियां करेगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में उपनियम(1) में निर्दिष्ट सूचियों में नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में ऐसी रिक्तियों में नियुक्तियां कर सकता है।

परन्तु मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी या दुग्धशाला विकास अधिकारी पद पर ऐसी नियुक्ति एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए या अगला चयन किए जाने तक इनमें जो भी पहले हो, की जायेगी और अन्य सेवा में शेष पदों में से किसी पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति आयोग से परामर्श लिए बिना कुल मिलाकार लगातार एक वर्ष से

अधिक अवधि के लिए उक्त पद को धृत नहीं करेगा ।

उपदुग्धशाला विकास अधिकारी,सहायक निदेशक दुग्धशाला प्रबन्धक और दुग्धशाला के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती संयुक्त सूची

20––(1) सेवा में किसी पद पर किसी मौलिक रिक्ति में, या उसके प्रति, नियुक्ति किए जाने पर कोई व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों में जो अभिलिखित किए जायेगें, अलग अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक कि अवधि बढायी जाय,

परन्तु, आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा–अवधि एक वर्ष से अधिक और, किसी भी परिस्थिति में, दो वर्ष से अधिक नहीं बढाई जायेगी ।

नियुक्ति

(3) यदि परिवीक्षा–अवधि या बढाई गई परिवीक्षा–अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सका है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जायेगा जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार न होगा ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए गणना करने के लिए अनुमति दे सकता है।

21– परिवीक्षा अवधि के दौरान समस्त अधिकारियों से ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की और ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी जिसे राज्यपाल समय–समय पर विहित करें ।

परिवीक्षा

22– किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में, उसकी नियुक्ति में, स्थायी कर दिया जायेगा यदि –

क– उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो।

ख– उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो।

ग– उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय।

घ– उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

ड– नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किए जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

23–(1) सेवा में किसी भी प्रवर्ग या पद पर ज्येष्ठता मौलिकरूप से नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्ति किये जाये तो उस क्रम से अवधारित की जायेगी जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखें हो,

परन्तुः–

(1) सेवा में सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की ज्येष्ठता वही होगी जो चयन के समय अवधारित की जायें, और

(2) सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा घृत मौलिक पद पर रही हो। टिप्पणीः–

(1) सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार गृहण करने में विफल रहे । कारणों की विधिमान्यता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा (2) जहां नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पिछला दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायें, जब से किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति की जानी हो । वहा उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति का दिनांक समझा जायेगा । अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा ।

विभागीय परीक्षा

भाग सात

स्थायीकरण

24 (1) सेवा में विभिन्न प्रवर्गो के पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाये ।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय पर वेतनमान नीचे दिये गये है :–

क्र0स0	पद का नाम	वेतनमान
1.	मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी	1200–50–1500–द0रो0–6
2.	दुग्धशाला प्राविधिक अभियन्ता	1400–50–1500–द0रो0–6
3.	दुग्धशाला विकास अधिकारी	800–50–1050–द0रो0–50–1 –50–1450
4.	उपदुग्धशाला विकास अधिकारी,सहायक	550–30–700–द0रो0–40–900 50–1200

ज्येष्ठता

5.	निदेशक,दुग्धशाला प्रबन्धक और दुग्धशाला सर्वेक्षक सांख्यिक	550—30—700—द0रो0—40—900—50—1200

25—(1) फण्डामैण्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्वि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतनवृद्वि दो वर्ष के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो विभागीय परीक्षा यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण, यदि कोई हो, पूरा कर लिया हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो ।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्वि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ।

(2) ऐसे व्यक्ति को जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामैण्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा ।

वेतनमान

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्वि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवको ंपर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों के द्वारा विनियमित होगा

26—(1) मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी को दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने धीरतया और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो यह न पाया जायें कि उसने उचित नियंत्रण का प्रयोग किया है, उसका कार्य और आचरण संताषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय, और

(2) दुग्धशाला प्राविधिक अभियन्ता को दक्षता रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने धीरतया और अपनी सर्वोत्तम

योग्यता से कार्य न किया जो, और यह न पाया जाय कि वह पर्याप्त प्राविधिक जानकारी रखता है ।और उसने उसका उचित प्रयोग किया है, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जायें और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

परिवीक्षा अवधि में वेतनमान

(3) दुग्धशाला विकास अधिकारी को (एक) प्रथमदक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने धीरतया और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो यह न पाया जायें कि वह पर्याप्त प्राविधिक जानकारी रखता है और उसने उसका उचित प्रयोग किया है, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने अपनी दक्षता को लगातार बनाये न रखा हो । यह प्रमाणित न कर दिया जायें कि वह उच्चतर उत्तरदायित्व के पद को धारण करने के लिये उपयुक्त है, उसका आचरण संतोषजनक न पाया जायें और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जायें ।

(4) उपदुग्धशाला विकास अधिकारी,दुग्धशाला प्रबन्धक, दुग्घशाला सर्वेक्षक, सहायक निदेशक या सांख्यिक को –

(एक)प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि यह न पाया जाये कि उसने धीरतया और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य किया है, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया गया हो, और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा
प्रमाणित न कर दी जाय।

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने धीरतया और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, यह न पाया जाय कि उसने पर्याप्त व्यवसायिक कौशल का प्रदर्शन किया है, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाये और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

दक्षता रोक पार करने का मानदण्ड

भाग आठ– अन्य उपबन्ध

27– किसी पद या सेवा के संबंध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा । अभ्यर्थी की ओर से
अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा ।

28– ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली

या विशेष आदेशों के अंतर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगें।

29— जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों की विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह आयोग के परामर्श से जहां आवश्यक हो,उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे,अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

30—इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायातो पर नहीं पडेगा, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार, अनूसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य विशेष प्रवर्गो के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
शमशाद अहमद,
सचिव,

————————

परिशिष्ट—''क''
(नियम 8 देखियें)

समूह ''क'' और ''ख'' के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये विहित शैक्षिक योग्यता और अनुभव ।

अनिवार्य अर्हतायें—

पक्ष समर्थन

(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविधालय से यांत्रिक या विधुत अभियन्त्रण में उपाधि (यांत्रिक अभियंत्रण में अधिमान दिया जायेगा)

(2) बायलर प्रशीतन दुग्धशाला संयंत्र कर्मशाला, डीजल जेनरेटर्स इत्यादि में कम से 10 वर्ष का अनुभव ।

अधिमानी अर्हतायें—

अन्य विषयों का विनियमन	(1) डिजाईन तैयार करने का अनुभव और डिजाईन तैयार करने में आधुनिक विकास का ज्ञान/अनुभव । (2) दुग्धशाला के पुर्नगठन और प्राविधिक ज्ञान का अनुभव । (3) प्रशीतन,बायलर और घृत, अधिष्ठापन का प्रशिक्षण ।
सेवा की शर्तो में शिथिलता	अनिवार्य अर्हतायें – (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविधालय से दुग्धशाला प्रौधोगिकी में स्नातक उपाधि । या किसी मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविधालय या विदेशी संस्थान से दुग्धशाला विज्ञान में डिप्लोमा । **या** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से पशुपालन और दुग्धशाला में विशषज्ञता के साथ कृषि में स्नातक उपाधि ।
व्यावृत्ति	(2) दुग्धशाला प्रौधोगिकी में जिनके पास स्नातक उपाधि नहीं है, उनके लिये सहकारी दुग्ध योजना या दुग्ध उत्पाद संयंत्र में 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव । (3) देवनागरी लिपि में हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान ।

दुग्धशाला
(प्राविधिक
अभियन्ता)

उपदुग्धशाला विकास
अधिकारी प्रबन्धक,
दुग्धशाला
सर्वेक्षक,दुग्धशाला
सहायक निदेशक

क्रम संख्या–166(ख)

रजिस्टर्ड नं0 ए0डी0–4
लाइसेन्स सं0डब्ल्यू0पी0–41
(पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट,उत्तर–प्रदेश
उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड(क)
(सामान्य परिनियम नियम)
लखनऊ, बुधवार,12 मार्च,1986
फाल्गुन 21, 1907 शंक सम्वत्
उत्तर प्रदेश सरकार
दुग्ध विकास अनुभाग
संख्या–686 / 12दु0वि0–3(96)–77
लखनऊ 12 मार्च,1986

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–19

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विघमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके,राज्यपाल उत्तर–प्रदेश दुग्धशाला विकास विभाग लेखा और सांख्यिकीय(अराजपत्रित) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तर प्रदेश, दुग्धशाला विकास विभाग लेखा और सांख्यिकीय (अराजपत्रित) सेवा नियमावली,1986

भाग–एक–''प्रारम्भिक''

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास विभाग लेखा और सांख्यिकीय (अराजपत्रित) सेवा नियमावली,1986 कही जायेगी ।
(2) यह तुरन्त प्रवृत होगी ।

2– उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास विभाग लेखा और सांख्यिकीय (अराजपत्रित) सेवा एक अधीनस्थ सेवा है,जिसमें समूह''ग'' के पद समाविष्ट है ।

3– जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो,इस नियमावली में:–

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य दुग्ध आयुक्त से है,

(ख) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है,जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय

(ग) ''सविंधान'' का तात्पर्य ''भारत का संविधान'' से है,

(घ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है

(ड़) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत नियमो या आदेशो के अधीन मोलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,

(च) '' दुग्ध आयुक्त'' का तात्पर्य दुग्ध आयुक्त,दुग्धशाला विकास,उत्तर प्रदेश से है,

(छ) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विभाग लेखा और सांख्यिकीय (अराजपत्रित) सेवा से है,

(ज) '' मोलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है,जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमो के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्ससमय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो,

(झ) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है ।

भाग दो–संवर्ग

4–(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय ।

(2) अब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाएं,सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदो की संख्या उतनी होगी,जितनी परिशिष्ट ''क'' में दी गयी है:–

परन्तु–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है,या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते है,जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा,

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते है,जिन्हें वह उचित समझें ।

भाग तीन–भर्ती

5– सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदो पर भर्ती निम्नलिखित श्रोतो से की

जाएगीः–
(1) लेखाकार और लागत सहायकः–
(एक) सीधी भर्ती द्वारा
(दो) स्थायी सहायक लेखाकार में से पदोन्नति द्वारा ।
(2) सहायक लेखाकार
ऐसे स्थायी लेखा लिपिकों में से,जिन्होने वाणिज्य में उच्च शास्त्र के साथ इण्टरमिडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की हो,पदोन्नति द्वारा ।
(3) लेखालिपिकः–
(एक)सीधी भर्ती द्वारा,
(दो) ऐसे स्थायी कनिष्ठ लिपिको में से,जिन्होने वाणिज्य में उच्च लेखा शास्त्र के साथ इण्टरमिडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की हो,पदोन्नति द्वारा ।
(4) सांख्यिकीय सहायकः–
(एक) सीधी भर्ती द्वारा,
(दो) अनुसंधाता एवं संकलनकर्ता में से पदोन्नति द्वारा ।
(5) अनुसन्धाता एवं संकलनकर्ताः–
सीधी भर्ती द्वारा ।

परन्तु लेखाकार,लागत सहायक,लेखा लिपिक और सांख्यिकीय सहायक के पदो पर भर्ती इस प्रकार की जायगी कि यथासम्भव 50 प्रतिशत पद सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों द्वारा और 50 प्रतिशत पद पदोन्नत व्यक्तियों द्वारा घृत किये जाएः–

परन्तु यदि पदोन्नत के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जा सकते है ।

6– अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।

भाग चार–अर्हतायें

7– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः–
(क) भारत का नागरिक हो,या
(ख) तिब्बती शरणार्थी हो,जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1,जनवरी,1962 के पूर्व भारत आया हो,या
(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान,वर्मा,श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश–केन्या,यूगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया(पूर्ववर्ती तांगानिका और जींजयार) से प्रवर्जन किया हो,

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी(ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा अभ्यर्थी व्यक्ति होना चाहिए,जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया है ।

परन्तु यह और कि श्रेणी(ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी

कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक,गुप्तचर शाखा,उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें ।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी ''ग'' का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा, और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में आगे इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें ।

टिप्पणीः– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो,किन्तु न हो तो यह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो,किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है,और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।

8– सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अर्हताये होनी चाहिएः–

<u>लेखाकार और लागत सहायकः–</u>

वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि

''या''

उच्च लेखा शास्त्र को एक विषय के रूप में लेकर वाणिज्य में स्नातक की उपाधि और प्रभागीय उप परीक्षा(डिवीजनल टेस्ट इक्जामीनेशन) उतीर्ण होना चाहिए ।

<u>सहायक लेखाकारः–</u>

<u>लेखालिपिकः–</u>

वाणिज्य में उच्च लेखाशास्त्र के साथ इण्टरमिटिएट ।

<u>सांख्यिकी सहायकः–</u>

सांख्यिकी या गणतीय सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि ।

अनुसंन्धाता एवं संकलन कर्ता

सांख्यिकी या गणित के साथ स्नातक की उपाधि

9– अन्य बातो के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा,जिसनेः–

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो ।

10.सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, जिस वर्ष भर्ती की जानी हो,उस वर्ष की पहली जनवरी को यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जाये,और पहली जुलाई को यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर को अवधि में विज्ञापित किये जाये,21 वर्ष की हो जानी चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए

परन्तु अनूसूचित जातियां,अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के,जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाए,अभ्यर्थियो

को स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उसके वर्ष अधिक होगी,,जितनी विनिर्दिष्ट की जाय ।

11.सीधीं भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सकें । नियुक्त प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपनी समाधान कर लेगा ।

टिप्पणीः– संध सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संध सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियत्रंणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्यूत व्यक्ति सेवा में,किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नही होंगे । नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्व व्यक्ति भी पात्र नही होगें ।

11. ऐसी सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो,और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहली से कोई पत्नी जीवित रही हो ।

    परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकते है,यदि उनका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विघमान है ।

12. किसी भी व्यक्ति की सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक द्वष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दाव से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्य का द्वढ़तापूर्वक पालन करने में बाधा पडने की सम्भावना न हो । किसी अभ्यर्थी को नियुक्त के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि हैण्ड बुक कि वह फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमो के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें ।

    परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नही की जायेगी ।

भाग पांच–भर्ती की प्रकिया

13. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–6 के अधीन अनुसूचित जतियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना तत्समय प्रयुक्त नियमो और आदेशों के अनुसार सेवायोजन कार्यालय को देगा ।

14. (1) सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया

जायेगा जिसमें निम्नलिखित होगेंः–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी या उसके द्वारा नाम–निर्दिष्ट विभाग में तैनात समूह–क के अधिकारी से अभिन्न श्रेणी का एक अधिकारी

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम–निर्दिष्ट विभाग में तैनात समूह–क का एक अधिकारी ।

(तीन) लेखाकार या लेखालिपिक के मामले में लेखा अधिकारी और अन्य पदो के मामलो में उप निदेशक(सांख्यिकी) ।

(2) चयन समिति आवेदन–पत्रों की समीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से एक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी ।

टिप्पणी– लिखित परीक्षा की प्रक्रिया और पाठ्य विवरण वही होगा जो परिशिष्ट''ख''(भाग एक और भाग दो) में दिया गया है।

(3) चयन समिति लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंको को सारणीबद्व करने के पश्चात नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगी जिसने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुच सके हो । साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंको में जोड दिये जायेगें ।

(4) चयन समिति अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उनको प्राप्त अंको के कुल योग से प्रकट हो,एक सूची तैयार करेगें। यदि दो या अधिक अभ्यर्थि बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थि का नाम उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा सूची में नामो की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत में ज्यादा अधिक नही) होगी । चयन समिति उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगें ।

16(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर नियम–15 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी ।

(2) नियुक्त प्राधिकारी अभ्यर्थि की ज्येठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उसके चरित्र पंजिका और उसके सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेख के नाम जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा ।

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्टि अभिलेखो के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलो पर विचार करेगी,और यदि यह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है ।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।

17. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो

प्रकार से कि जानी हो तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम संयुक्त सूचियों से बारीबारी से इस प्रकार से लिये जायेगें कि निहित प्रतिशत बना रहें । सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्ति किये व्यक्ति का होगा ।

भाग–6 नियुक्ति परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18. (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के आधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नियुक्तियां उसी क्रम में करेगी जिसमें उनके नाम, यथास्थित की नियुक्तिया उसी क्रम में करेगा, जिसमें उसके नाम, यथास्थिति नियम 15,16,या 17 के आधीन सूची में हो ।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो प्रकार से की जानी हो, वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नही कि जायेगी जब कि दोनो श्रोतो से चयन न कर लिया जाय । और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय ।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाए तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा । जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख, यथास्थिति चयन में यथा अवधारित या उस संवर्ग में, जिसमें उन्हें पदोन्नति किया जाय, विघमान ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा । यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो प्रकार की जाए तो नाम नियम 17 में निर्दिष्ठ क्रम के अनुसार रखे जायेगें ।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी का स्थानापन रिक्तियों में भी उप नियम (1) में निर्दिष्ठ सूचियों से नियुक्तियां कर सकता है । यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थि उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्ति में यह नियमावली के आधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से नियुक्ति कर सकता है । ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगली चयन किये जाने वाले तक, इसमें जो भी पहले हो, से अधिक नही चलेगी ।

19. (1) सेवा में किसी पद पर स्थायी रिक्ति में या उसके प्रतिनियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगें,अलग–अलग मामलो में परीवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ठ किये जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय ।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थितिया में दो वर्ष से अधिक नही बढ़ायी जायेगी ।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान

किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परीवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरो का प्रर्याप्त उपयोग नही किया है या संतोषप्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर,यदि कोई हो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है । यदि उसका किसी ऐसे पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवाये समाप्त की सकती है ।

(4) उपनियम (3) के आधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवाये समाप्त की जाय, यह किसी प्रतिकर का हकदार नही होगा ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलत किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चपद पर स्थानापन्न या स्थायी रूप से कि गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ किये जाने को अनुमति दे सकता है ।

20. किसी पारिवीक्षाधीन व्यक्ति का परीक्षाअवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति, में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि उसका कार्य और आचरण संतोषप्रद बताया जाय,उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय,और नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है ।

21. (1) एत्दपश्चात यथा उपबन्धित के सिवाय किसी श्रेणी के पदों पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्ति किये जाए तो उस क्रम में जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हो अवधारित की जायेगी ।

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति के मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिदिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा और अन्य मामलो में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा ।

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाए तो ज्येष्ठता यही होगी जो नियम 18 के उपनियम (3) के आधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो ।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्ति किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो ।

परन्तु सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर युक्ति युक्त कारणो के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे । कारण की पुष्टि

युक्तियुक्त के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा ।
(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति किये गये व्यक्तियों को परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उसकी पदोन्नति की गयी हो ।
(4) जहा नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनो प्रकार से या एक से अधिक श्रोतो से की जाय तो और श्रोतो का अलग–अलग कोटा विहित हो, वहा उसकी परस्पर ज्येष्ठता के नियम 17 के अनुसार तैयार की गयी संयुक्त सूची में ऐसे रीति से जिससे विहित प्रतिशत बना रहें, चक्रानुक्रम में, उनके नाम रखकर अवधारित की जायेगी ।

परन्तु यदि किसी श्रोत से बिना भरी गयी रिक्तियां किसी अन्य श्रोत से भरी जाय तो इस प्रकार नियुक्ति व्यक्ति उसी वर्ष की ज्येष्ठता प्राप्त करेगें , मानो उसकी नियुक्ति क्रमशः उनके कोटो की रिक्तियों के प्रति की गयी हो ।

भाग सात–वेतन इत्यादि

22(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदो पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में ये अस्थायी आधार पर, नियुक्ति व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय ।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय पृवत वेतनमान परिशिष्ट–क में दिये गये है ।

23 (1)फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपवन्ध कें होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्वि तभी दी जायेगी जब उसनें एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो जहां विहित हो विभागीय परीक्षा उत्तीण कर ली हो और विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्वि दो वर्षो की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो ।

परन्तु यदि संतोषप्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्वि के लिए नही की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ।
(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार का आधीन कोई पदधारण कर रहा हो, परिवीक्षाअवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्ठस रूल्स द्वारा नियमित होगा ।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षाअवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्वि के लिए नही की जायेगी । जबतक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ।
(3) ऐसे व्यक्ति की जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो परिवीक्षा अवधि के वेतन राज्य के कार्यकलापो के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवको पर सामान्यतया लागू सुंसगत नियमो द्वारा विनियमित होगा ।
24– किसी भी व्यक्ति को :–

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नही दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषप्रद न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर ली जाय

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नही दी जायेगी जब कि उसने सतत् रूप से और अपनी सर्वोतम योग्यता से कार्य न किया हो उसका कार्य और आचरण संतोषप्रद न पाया जाय और तब कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

भाग आठ – अन्य उपबन्ध

25– पद के सम्बन्ध में लागू नियमो के अधीन अपेक्षित सिफारिश सें भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नही किया जायेगा । किसी अभ्यर्थी की और से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सर्मथन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्त के लिए अनर्ह कर देगा ।

26– ऐसे विषयों के संवध में जो निर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो सेवा में नियुक्ति व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवको पर सामान्यतया लागू नियमो, विनियमो और आदेशो द्वारा नियंत्रित होगे ।

27– जहां सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के परिवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहा वह उस मामलो में लागू नियमो में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के आधीन रहते हुए जिन्हें यह मामलो में न्यायसंगत और साम्य पूर्ण रिति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षार्थी से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है ।

28– इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण या अन्य रियायतो पर नही पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से

वृजेश कुमार
सचिव

परिशिष्ट''क'

(नियम 4(2) और 22(2) देखिए)

क	पद का नाम	पुराना पदनाम	वेतनमान	स्थाई	अस्थाई	योग

1.	लेखाकार	—	570—25—770—द0रो0—30—980—द0रो0—30—1100	4	1	5
2.	लागत सहायक	—	570—25—770—द0रो0—30—980—द0रो0—30—1100	1	—	1
3.	सहायक लेखाकार (मुख्यावास)	—	515—15—590—18—626—द0रो0—18—680—20—780—द0रो0—860	5	1	6
4	स0लेखाकार आगरा दु0	—	470—15—575—द0रो0—15—650—17—701—द0रो0—17—735	—	1	1
5	लेखालिपिक	—	430—12—490—15—520—द0रो0—15—640—द0रो0—15—685	7	3	10
6	संख्यिकी सहायक	ज्ये0अनु संधाता सांख्यि की सहायक	570—25—770—द0रो0—30—980—द0रो0—30—1100	—	5	5
7	अनुसंधानकर्ता एवं संकलनकर्ता	संकलन कर्ता अनुसंधाता	470—15—575—द0रो0—15—650—17—701—द0रो0—17—735	—	10	10

परिशिष्ट''ख''—भाग—एक

(नियम 15(2) देखिए)

उत्तर प्रदेश दुग्घशाला विकास अधीनस्थ सेवा में लेखा लिपिक,लेखाकार और लागत सहायक के पद पर प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया और लिखित परीक्षा का पाठ्य विवरणः—

लिखित परीक्षा का पाठ्य विवरणः—

प्रवेश परीक्षा दो विषयों में होगी और प्रत्येक विषय में 50—50 अंक होगे ।

पुस्तकपालक(बुक कीपिग)

सामान्य खाता, इकहरी लेखा प्रणाली, दोहरी लेखा प्रणाली, तलपट (ट्रायल वैलेस), सन्तुलन—पत्र,मूल्य हास पद्वति बैक सामान्य विवरण,उचित खाता, भुगतान की औसत दरें,विनियम—विशेष ,त्रुटियो और उनका सुधार ।

अंकगणितः—

त्रेमासिक नियम(रूल आफ थ्री),सरलीकरण,औसत,प्रतिशत क्षेत्रफल,आयतन,साधारण व्याज,चक्रवर्ती व्याज,अनुपात और समानुपात,लाभ और हानि,वर्गमूल और घनमूल,लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक ।

(टिप्पणी):—

लिखित परीक्षा में दिये गये प्रश्नो का उत्तर देते समय अभ्यर्थियों को किसी पुस्तक,पत्रादि या नोट की सहायता लेने की अनुमति नही दी जायेगी । उनको उत्तरपुस्तिकायें दी जायेगी किन्तु उन्हें कलम और स्याही इत्यादि की व्यवस्था करना होगी ।

परिशिष्ट ''ख''—भाग—2

(नियम 15(2) देखिए)

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास अधीनस्थ सेवाये सांख्यिकीय सहायक,अन्वेषक–कम–संगणक के पद पर प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया और लिखित परीक्षा का पाठ्य विवरणः–

प्रवेश परीक्षा निम्नलिखित दो विषयों में होगी । जिनमें से प्रत्येक विषय में 50–50 अंक होगें :–

सांख्यिकीय विधियां और व्यवहारिक सांख्यिकीः–

बारम्बरता–बंटन और आयत चित्र (फ्रिववेन्सी डिस्ट्रीव्यूशन एण्ड हिस्टोग्राम), केन्द्रीय प्रवृति और प्रसार का माप(मेजर्स आफ सेन्ट्ल टेंडेंसी एण्ड डिसपर्सन), परिधात,विधमत्ता और पुथैशोयेन्य(मोमेन्ट्स, स्पयूनेस एण्ड कुटीसिग)गुण सम्बन्ध और आरोग सारणी(एसोसिएशन एण्ड कन्टिनजेन्सी टेवल),कर्व फिटिंग, सहसंबंध(कोरिलेशन), सूंचकांक,समय श्रेणियों का विश्लेषण, आन्तरगणन(इन्टरपोलेशन), वृहत और लधु सन्यादर्श के परीक्षण ।

प्रतिचयन (सैम्पलिंग)

ससम्भाविक और असम्भाविक प्रतिचयन विधि(रेण्डम एण्ड नान रेण्डम सैम्पलिंग मैथड),प्रतिचयन और अप्रतिचयन विभ्रम(सैम्पलिंग एण्ड नान सैम्पलिंग एरर्स),जनसंख्या का आगणन,विभिन्न प्रतिचयन प्राविधियों के अन्तर्गत औसत स्तरित सम्भाविक प्रतिचयन(स्टडीफाईड रैण्डलिंग सैम्पलिंग),व्यवस्थित प्रतिचयन(सिस्टमैटिक सैम्पलिंग), द्विस्तरीय प्रतिचयन(टू स्टेज सैम्पलिंग),आंगणन और अनुपातिक विधि(रेसियोमैथड आफ स्टीमेशन) ।

टिप्पणीः– लिखित परीक्षा में दिये गये प्रश्नों का उत्तर देते समय अभ्यर्थियो को किसी पुस्तक,पत्रादि या नोट की सहायता लेने की अनुमति नही दी जायेगी । उनको उत्तर–पुस्तिकायें दी जायेगी, किन्तु उन्हें कलम या स्याही इत्यादि की व्यवस्था करनी होगी ।

आज्ञा से,

वृजेश कुमार,
सचिव

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

सेवा की प्रास्थिति

परिभाषायें

सेवा का संवर्ग

भर्ती का श्रोत

आरक्षण

राष्ट्रीक्ता

शैक्षिक अर्हतायें

अधिमानी अर्हता

आयु

चरित्र

वैवाहिक प्रास्थिति

शारीरिक स्वस्थता

रिक्तियों का
अवधारण

सीधी भर्ती की
प्रक्रिया

पदोन्नति द्वारा भर्ती
की प्रक्रिया

संयुक्त चयन सूची

नियुक्ति

परिवीक्षा

स्थायीकरण

ज्येष्ठता

व्‍तनमान

वेतनमान

परिवीक्षा अवधि में
वेतन

दक्षतारोक पार करने
का मानदण्ड

पक्ष समर्थन

अन्य विषयों का
विनियमन

सेवा की शर्तो में
शिथिलता

व्यावृति

क्रम संख्या–166(ख)

रजिस्टर्ड नं0 ए0डी0–4
लाइसेन्स सं0डब्ल्यू0पी0–41
(पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट,उत्तर–प्रदेश
उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड(क)
(सामान्य परिनियम नियम)
लखनऊ, बुधवार,12 मार्च,1986
फाल्गुन 21, 1907 शंक सम्वत्
उत्तर प्रदेश सरकार
दुग्ध विकास अनुभाग
संख्या–686 / 12दु0वि0–3(96)–77
लखनऊ 12 मार्च,1986

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–19

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विघमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके,राज्यपाल उत्तर–प्रदेश दुग्धशाला विकास विभाग लेखा और सांख्यिकीय(अराजपत्रित) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तर प्रदेश, दुग्धशाला विकास विभाग लेखा और सांख्यिकीय (अराजपत्रित) सेवा

नियमावली,1986

भाग–एक–''प्रारम्भिक''

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास विभाग लेखा और सांख्यिकीय (अराजपत्रित) सेवा नियमावली,1986 कही जायेगी ।
(2) यह तुरन्त प्रवृत होगी ।

2– उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास विभाग लेखा और सांख्यिकीय (अराजपत्रित) सेवा एक अधीनस्थ सेवा है,जिसमें समूह''ग'' के पद समाविष्ट है ।

3– जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो,इस नियमावली में:–
(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य दुग्ध आयुक्त से है,
(ख) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है,जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय
(ग) ''सविंधान'' का तात्पर्य ''भारत का संविधान'' से है,
(घ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है
(ड़) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत नियमो या आदेशो के अधीन मोलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,
(च) '' दुग्ध आयुक्त'' का तात्पर्य दुग्ध आयुक्त,दुग्धशाला विकास,उत्तर प्रदेश से है,
(छ) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विभाग लेखा और सांख्यिकीय (अराजपत्रित) सेवा से है,
(ज) '' मोलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है,जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमो के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्ससमय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो,
(झ) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है ।

भाग दो–संवर्ग

4–(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय ।
(2) अब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाएं,सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदो की संख्या उतनी होगी,जितनी परिशिष्ट ''क'' में दी गयी है:–
परन्तु–
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है,या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते है,जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा,

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते है,जिन्हें वह उचित समझें ।

भाग तीन–भर्ती

5– सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदो पर भर्ती निम्नलिखित श्रोतो से की जाएगीः–

(1) लेखाकार और लागत सहायकः–

(एक) सीधी भर्ती द्वारा

(दो) स्थायी सहायक लेखाकार में से पदोन्नति द्वारा ।

(2) सहायक लेखाकार

ऐसे स्थायी लेखा लिपिकों में से,जिन्होने वाणिज्य में उच्च शास्त्र के साथ इण्टरमिडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की हो,पदोन्नति द्वारा ।

(3) लेखालिपिकः–

(एक)सीधी भर्ती द्वारा,

(दो) ऐसे स्थायी कनिष्ठ लिपिको में से,जिन्होने वाणिज्य में उच्च लेखा शास्त्र के साथ इण्टरमिडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की हो,पदोन्नति द्वारा ।

(4) सांख्यिकीय सहायकः–

(एक) सीधी भर्ती द्वारा,

(दो) अनुसंधाता एवं संकलनकर्ता में से पदोन्नति द्वारा ।

(5) अनुसन्धाता एवं संकलनकर्ताः–

सीधी भर्ती द्वारा ।

परन्तु लेखाकार,लागत सहायक,लेखा लिपिक और सांख्यिकीय सहायक के पदो पर भर्ती इस प्रकार की जायगी कि यथासम्भव 50 प्रतिशत पद सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों द्वारा और 50 प्रतिशत पद पदोन्नत व्यक्तियों द्वारा घृत किये जाएः–

परन्तु यदि पदोन्नत के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जा सकते है ।

6– अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।

भाग चार–अर्हतायें

7– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः–

(क) भारत का नागरिक हो,या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो,जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1,जनवरी,1962 के पूर्व भारत आया हो,या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान,वर्मा,श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश–केन्या,यूगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया(पूर्ववर्ती तांगानिका और जींजयार) से प्रवर्जन किया हो,

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी(ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा अभ्यर्थी व्यक्ति होना चाहिए,जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया है ।

परन्तु यह और कि श्रेणी(ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक,गुप्तचर शाखा,उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें ।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी ''ग'' का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा, और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में आगे इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें ।

टिप्पणीः– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो,किन्तु न हो तो यह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो,किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है,और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।

8– सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अर्हताये होनी चाहिएः–

<u>लेखाकार और लागत सहायकः–</u>

वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि

''या''

उच्च लेखा शास्त्र को एक विषय के रूप में लेकर वाणिज्य में स्नातक की उपाधि और प्रभागीय उप परीक्षा(डिवीजनल टेस्ट इक्जामीनेशन) उतीर्ण होना चाहिए ।

<u>सहायक लेखाकारः–</u>

<u>लेखालिपिकः–</u>

वाणिज्य में उच्च लेखाशास्त्र के साथ इण्टरमिटिएट ।

<u>सांख्यिकी सहायकः–</u>

सांख्यिकी या गणतीय सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि ।

अनुसंन्धाता एवं संकलन कर्ता

सांख्यिकी या गणित के साथ स्नातक की उपाधि

9– अन्य बातो के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा,जिसनेः–

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो ।

10.सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, जिस वर्ष भर्ती की जानी हो,उस वर्ष की पहली जनवरी को यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जाये,और पहली जुलाई को यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर को अवधि में विज्ञापित किये जाये,21 वर्ष की हो जानी चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए

परन्तु अनूसूचित जातियां,अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के,जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाए,अभ्यर्थियो को स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उसके वर्ष अधिक होगी,,जितनी विनिर्दिष्ट की जाय ।

11.सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सकें । नियुक्त प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपनी समाधान कर लेगा ।

टिप्पणीः– संध सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संध सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियत्रंणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्यूत व्यक्ति सेवा में,किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नही होंगे । नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्व व्यक्ति भी पात्र नही होगें ।

15. ऐसी सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो,और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहली से कोई पत्नी जीवित रही हो ।

    परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकते है,यदि उनका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विघमान है ।

16. किसी भी व्यक्ति की सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक द्वष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दाव से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्य का द्वढ़तापूर्वक पालन करने में बाधा पडने की सम्भावना न हो । किसी अभ्यर्थी को नियुक्त के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि हैण्ड बुक कि वह फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमो के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें ।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नही की जायेगी ।

भाग पांच–भर्ती की प्रक्रिया

17. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–6 के अधीन अनुसूचित जतियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना तत्समय प्रयुक्त नियमो और आदेशों के अनुसार सेवायोजन कार्यालय को देगा ।

18. (1) सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होगें:–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी या उसके द्वारा नाम–निर्दिष्ट विभाग में तैनात समूह–क के अधिकारी से अभिन्न श्रेणी का एक अधिकारी

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम–निर्दिष्ट विभाग में तैनात समूह–क का एक अधिकारी ।

(तीन) लेखाकार या लेखालिपिक के मामले में लेखा अधिकारी और अन्य पदो के मामलो में उप निदेशक(सांख्यिकी) ।

(2) चयन समिति आवेदन–पत्रों की समीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से एक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगी ।

टिप्पणी– लिखित परीक्षा की प्रक्रिया और पाठ्य विवरण वही होगा जो परिशिष्ट''ख''(भाग एक और भाग दो) में दिया गया है।

(3) चयन समिति लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंको को सारणीबद्व करने के पश्चात नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगी जिसने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुच सके हो । साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंको में जोड दिये जायेगें ।

(4) चयन समिति अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उनको प्राप्त अंको के कुल योग से प्रकट हो,एक सूची तैयार करेगें। यदि दो या अधिक अभ्यर्थि बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थि का नाम उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा सूची में नामो की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत में ज्यादा अधिक नही) होगी । चयन समिति उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगें ।

16(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर नियम–15 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी ।

(2) नियुक्त प्राधिकारी अभ्यर्थि की ज्येठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उसके चरित्र पंजिका और उसके सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेख के नाम जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा ।

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्टि अभिलेखो के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलो पर विचार करेगी,और यदि यह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है ।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।

17. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो प्रकार से कि जानी हो तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम संयुक्त सूचियों से बारीबारी से इस प्रकार से लिये जायेगें कि निहित प्रतिशत बना रहें । सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्ति किये व्यक्ति का होगा ।

भाग–6 नियुक्ति परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

22. (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के आधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नियुक्तियां उसी क्रम में करेगी जिसमें उनके नाम, यथास्थित की नियुक्तिया उसी क्रम में करेगा, जिसमें उसके नाम, यथास्थिति नियम 15,16,या 17 के आधीन सूची में हो ।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो प्रकार से की जानी हो, वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नही कि जायेगी जब कि दोनो श्रोतो से चयन न कर लिया जाय । और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय ।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाए तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा । जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख, यथास्थिति चयन में यथा अवधारित या उस संवर्ग में, जिसमें उन्हें पदोन्नति किया जाय, विघमान ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा । यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो प्रकार की जाए तो नाम नियम 17 में निर्दिष्ठ क्रम के अनुसार रखे जायेगें ।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी का स्थानापन रिक्तियों में भी उप नियम (1) में निर्दिष्ठ सूचियों से नियुक्तियां कर सकता है । यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थि उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्ति में यह नियमावली के आधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से नियुक्ति कर सकता है । ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगली चयन किये जाने वाले तक, इसमें जो भी पहले हो, से अधिक नही चलेगी ।

23. (1) सेवा में किसी पद पर स्थायी रिक्ति में या उसके प्रतिनियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगें,अलग–अलग मामलो में परीवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ठ किये जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय ।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थितिया में दो वर्ष से अधिक नही बढ़ायी जायेगी ।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परीवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरो का प्रर्याप्त उपयोग नही किया है या संतोषप्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर,यदि कोई हो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है । यदि उसका किसी ऐसे पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवाये समाप्त की सकती है ।

(4) उपनियम (3) के आधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवाये समाप्त की जाय, यह किसी प्रतिकर का हकदार नही होगा ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलत किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चपद पर स्थानापन्न या स्थायी रूप से कि गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ किये जाने को अनुमति दे सकता है ।

24. किसी पारिवीक्षाधीन व्यक्ति का परीक्षाअवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति, में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि उसका कार्य और आचरण संतोषप्रद बताया जाय,उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय,और नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है ।

25. (1) एत्दपश्चात यथा उपबन्धित के सिवाय किसी श्रेणी के पदों पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्ति किये जाए तो उस क्रम में जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हो अवधारित की जायेगी ।

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति के मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिदिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा और अन्य मामलो में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा ।

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाए तो ज्येष्ठता यही होगी जो नियम 18 के उपनियम (3) के आधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो ।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्ति किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो ।

परन्तु सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर युक्ति युक्त कारणो के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे । कारण की पुष्टि युक्तियुक्त के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति किये गये व्यक्तियों को परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उसकी पदोन्नति की गयी हो ।

(4) जहा नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनो प्रकार से या एक से अधिक श्रोतो से की जाय तो और श्रोतो का अलग–अलग कोटा विहित हो, वहा उसकी परस्पर ज्येष्ठता के नियम 17 के अनुसार तैयार की गयी संयुक्त सूची में ऐसे रीति से जिससे विहित प्रतिशत बना रहें, चक्रानुक्रम में, उनके नाम रखकर अवधारित की जायेगी ।

परन्तु यदि किसी श्रोत से बिना भरी गयी रिक्तियां किसी अन्य श्रोत से भरी जाय तो इस प्रकार नियुक्ति व्यक्ति उसी वर्ष की ज्येष्ठता प्राप्त करेगें , मानो उसकी नियुक्ति क्रमशः उनके कोटो की रिक्तियों के प्रति की गयी हो ।

भाग सात–वेतन इत्यादि

22(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदो पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में ये अस्थायी आधार पर, नियुक्ति व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय ।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय पृवत वेतनमान परिशिष्ट–क में दिये गये है ।

23 (1)फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपवन्ध कें होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्वि तभी दी जायेगी जब उसनें एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो जहां विहित हो विभागीय परीक्षा उत्तीण कर ली हो और विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्वि दो वर्षो की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो ।

परन्तु यदि संतोषप्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्वि के लिए नही की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार का आधीन कोई पदधारण कर रहा हो, परिवीक्षाअवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्ठस रूल्स द्वारा नियमित होगा ।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षाअवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्वि के लिए नही की जायेगी । जबतक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ।

(3) ऐसे व्यक्ति की जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो परिवीक्षा अवधि के वेतन राज्य के कार्यकलापो के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवको पर सामान्यतया लागू सुंसगत नियमो द्वारा विनियमित होगा ।

24– किसी भी व्यक्ति को :–

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नही दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषप्रद न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर ली जाय

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नही दी जायेगी जब कि उसने सतत् रूप से और अपनी सर्वोतम योग्यता से कार्य न किया हो उसका कार्य और आचरण संतोषप्रद न पाया जाय और तब कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

भाग आठ – अन्य उपबन्ध

25– पद के सम्बन्ध में लागू नियमो के अधीन अपेक्षित सिफारिश सें भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नही किया जायेगा । किसी अभ्यर्थी की और से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सर्मथन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्त के लिए अनर्ह कर देगा ।

26– ऐसे विषयों के संवध में जो निर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो सेवा में नियुक्ति व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवको पर सामान्यतया लागू नियमो, विनियमो और आदेशो द्वारा नियंत्रित होगे ।

27– जहां सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के परिवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहा वह उस मामलो में लागू नियमो में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के आधीन रहते हुए जिन्हें यह मामलो में न्यायसंगत और साम्य पूर्ण रिति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षार्थी से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है ।

28– इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण या अन्य रियायतो पर नही पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से

वृजेश कुमार
सचिव

परिशिष्ट''क'
(नियम 4(2) और 22(2) देखिए)

क	पद का नाम	पुराना पदनाम	वेतनमान	स्थाई	अस्थाई	योग
1.	लेखाकार	—	570—25—770—द0रो0—30—980—द0रो0—30—1100	4	1	5
2.	लागत सहायक	—	570—25—770—द0रो0—30—980—द0रो0—30—1100	1	—	1
3.	सहायक लेखाकार (मुख्यावास)	—	515—15—590—18—626—द0रो0—18—680—20—780—द0रो0—860	5	1	6
4	स0लेखाकार आगरा दु0	—	470—15—575—द0रो0—15—650—17—701—द0रो0—17—735	—	1	1
5	लेखालिपिक	—	430—12—490—15—520—द0रो0—15—640—द0रो0—15—685	7	3	10
6	संख्यिकी सहायक	ज्ये0अनु संधाता सांख्यि की सहायक	570—25—770—द0रो0—30—980—द0रो0—30—1100	—	5	5
7	अनुसंधानकर्ता एवं संकलनकर्ता	संकलन कर्ता अनुसंधाता	470—15—575—द0रो0—15—650—17—701—द0रो0—17—735	—	10	10

परिशिष्ट''ख''—भाग—एक
(नियम 15(2) देखिए)

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास अधीनस्थ सेवा में लेखा लिपिक,लेखाकार और लागत सहायक के पद पर प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया और लिखित परीक्षा का पाठ्य विवरणः—

लिखित परीक्षा का पाठ्य विवरणः—

प्रवेश परीक्षा दो विषयों में होगी और प्रत्येक विषय में 50—50 अंक होगे ।

पुस्तकपालक(बुक कीपिग)

सामान्य खाता, इकहरी लेखा प्रणाली, दोहरी लेखा प्रणाली, तलपट (ट्रायल वैलेस), सन्तुलन—पत्र,मूल्य हास पद्वति बैक सामान्य विवरण,उचित खाता, भुगतान की औसत दरें,विनियम—विशेष ,त्रुटियो और उनका सुधार ।

अंकगणितः—

त्रेमासिक नियम(रूल आफ थ्री),सरलीकरण,औसत,प्रतिशत क्षेत्रफल,आयतन,साधारण व्याज,चक्रवर्ती व्याज,अनुपात और समानुपात,लाभ और हानि,वर्गमूल और घनमूल,लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक ।

(टिप्पणी):–

लिखित परीक्षा में दिये गये प्रश्नो का उत्तर देते समय अभ्यर्थियों को किसी पुस्तक,पत्रादि या नोट की सहायता लेने की अनुमति नही दी जायेगी । उनको उत्तरपुस्तिकायें दी जायेगी किन्तु उन्हें कलम और स्याही इत्यादि की व्यवस्था करना होगी ।

परिशिष्ट ''ख''–भाग–2

(नियम 15(2) देखिए)

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास अधीनस्थ सेवाये सांख्यिकीय सहायक,अन्वेषक–कम–संगणक के पद पर प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया और लिखित परीक्षा का पाठ्य विवरणः–

प्रवेश परीक्षा निम्नलिखित दो विषयों में होगी । जिनमें से प्रत्येक विषय में 50–50 अंक होगें :–

सांख्यिकीय विधियां और व्यवहारिक सांख्यिकीः–

बारम्बरता–बंटन और आयत चित्र (फ्रिववेन्सी डिस्ट्रीव्यूशन एण्ड हिस्टोग्राम), केन्द्रीय प्रवृति और प्रसार का माप(मेजर्स आफ सेन्ट्ल टेंडेंसी एण्ड डिसपर्सन), परिधात,विधमत्ता और पुथैशोयेन्य(मोमेन्ट्स, स्पयूनेस एण्ड कुटीसिग)गुण सम्बन्ध और आरोग सारणी(एसोसिएशन एण्ड कन्टिनजेन्सी टेवल),कर्व फिटिंग, सहसंबंध(कोरिलेशन), सूंचकांक,समय श्रेणियों का विश्लेषण, आन्तरगणन(इन्टरपोलेशन), वृहत और लधु सन्यादर्श के परीक्षण ।

प्रतिचयन (सैम्पलिंग)

ससम्भाविक और असम्भाविक प्रतिचयन विधि(रेण्डम एण्ड नान रेण्डम सैम्पलिंग मैथड),प्रतिचयन और अप्रतिचयन विभ्रम(सैम्पलिंग एण्ड नान सैम्पलिंग एरर्स),जनसंख्या का आगणन,विभिन्न प्रतिचयन प्राविधियों के अन्तर्गत औसत स्तरित सम्भाविक प्रतिचयन(स्टडीफाईड रैण्डलिंग सैम्पलिंग),व्यवस्थित प्रतिचयन(सिस्टमैटिक सैम्पलिंग), द्विस्तरीय प्रतिचयन(टू स्टेज सैम्पलिंग),आंगणन और अनुपातिक विधि(रेसियोमैथड आफ स्टीमेशन) ।

टिप्पणीः– लिखित परीक्षा में दिये गये प्रश्नों का उत्तर देते समय अभ्यर्थियो को किसी पुस्तक,पत्रादि या नोट की सहायता लेने की अनुमति नही दी जायेगी । उनको उत्तर–पुस्तिकायें दी जायेगी, किन्तु उन्हें कलम या स्याही इत्यादि की व्यवस्था करनी होगी ।

आज्ञा से,
वृजेश कुमार,
सचिव